

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0:-93 / 2026


1. कुलदीप पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. बलराम पुत्र जसवन्त जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. प्रदीप पुत्र जसवन्त जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

1. पृथ्वीराज पुत्र पूर्णराम
2. रामकुमार पुत्र पृथ्वीराज
3. जसवन्त पुत्र पृथ्वीराज
4. शिमला पुत्री पृथ्वीराज
5. रेणु पुत्री रामकुमार
6. रेखा पुत्र रामकुमार
7. ममता पुत्री रामकुमार
8. मिनाक्षी पुत्री रामकुमार
9. सन्तोश पुत्री जसवन्त
10. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

वनाम्

-वादीगण

जाति जाट निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।



- प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 23/3/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अरविन्द नेण व प्रतिवादी वकील परमजीतसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- प्रतिवादी स0 1 के नाम से चक न 2 एन.जी.आर ज.स. 2075-2078 खाता स 34/34 मे 3.289 है व चक 10 एस.बी.एन खाता स 130/115 मे 2.024 है भूमि मे वादी स 1 को 1/2 हिस्सा का व वादी स 2 व 3 को 1/2 हिस्सा व0हि0व0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व उक्त खातो से प्रतिवादी स 1 पृथ्वीराज पुत्र पूर्णराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/3/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण ए.एस.)
 उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।